UPBJ120002172026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज(जू०डि०), चाँदपुर बिजनौर।

एफ०आर० वाद सं०–17/2026
अंतिम आख्या सं०– 16/2025
शमशाद बनाम अज्ञात
मु०अ०सं०–19/2025
धारा– 318(4) बी०एन०एस०
थाना– शिवाला कलां
जनपद– बिजनौर

दिनांक–30–06–2026

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत वाद में विवेचक द्वारा अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई है।

अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले में दिनांक 17.02.2025 को वादी शमशाद पुत्र सत्तार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–**318(4) बी०एन०एस०** बनाम अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। इसके पश्चात विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा अंतिम आख्या रिपोर्ट 16/2025 दिनांकित 16.06.2025 न्यायालय को प्रेषित की गई थी।

प्रस्तुत अंतिम आख्या के वाद में परिवादी को नोटिस प्रेषित किया जा चुका है। नोटिस दिनांक 24.03.2026 के लिए जारी किया गया था, नोटिस तामील पर्याप्त है, परंतु इसके बाद भी परिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वह उपरोक्त मामले में कोई रूचि नहीं ले रहा है तथा वह पुलिस द्वारा उपरोक्त मामले में लगायी गयी एफ०आर० से संतुष्ट है। विवेचक द्वारा दाखिल सभी प्रपत्रों के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि विवेचना त्रुटिपूर्ण नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से मामले में प्रथम दृष्टया कार्यवाही का आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त के दृष्टिगत विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या रिपोर्ट सं० 16/2025 दिनांकित 16.06.2025 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त मुकदमे में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या सं०– 16/2025 दिनांकित 16.06.2025 थाना–शिवाला कलां, जनपद बिजनौर, तदनुसार न्यायहित में स्वीकृत की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अरुण कुमार राणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चाँदपुर, बिजनौर
J.O.CODE–UP3660

Digitally signed by ARUN KUMAR RANA
Date: 2026.06.30 16:14:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court